

न्यायालय-सत्र न्यायाधीश, भदोही।  
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-243 सन् 2026



C.N.R.No.UPSN01-000759-2026

नितिन पाण्डेय बालिग पुत्र प्रमोद कुमार पाण्डेय, निवासी दुगरहा, थाना-विंध्याचल, जिला-  
मिर्जापुर। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

**बनाम**

उ०प्र०राज्य।

.....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या-563 सन् 2025

धारा-318(4) एवं 61(2) बी.एन.एस.

थाना-गोपीगंज, जिला-भदोही।

**आदेश**

1. प्रार्थी/अभियुक्त नितिन पाण्डेय की ओर से प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या-563 सन् 2025, धारा-318(4) एवं 61(2) बी.एन.एस. थाना-गोपीगंज, जिला-भदोही के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोगी दिनेश कुमार पाल ने थानाध्यक्ष गोपीगंज को संबोधित तहरीर दिनांक 13.12.2025 को 19.17 बजे इस आशय की प्रस्तुत किया कि वह ग्राम पूरेशम्भू थाना गोपीगंज का निवासी है। दिनांक 13.12.2025 को वह अपनी दुकान पाल ज्वेलर्स स्टेशन रोड केड़वरिया त्रिमुहानी से पहले अपनी दुकान पर था। समय करीब 12.00 बजे दिन में दो व्यक्ति उसके दुकान पर आये और कुछ सामान आर्डर देकर बाजार में अपना अन्य काम करने चले गये। फिर दोबारा समय करीब 2.30 बजे वे दोनों व्यक्ति उसकी दुकान पर वापस आर्डर में दिया हुआ सामान लेने आये। उसने एक जोड़ा पायल चांदी का वजनी 100 ग्राम, एक जोड़ी कान की झाली 1.9 ग्राम व एक मंगलसूत्र वजन 2 ग्राम उन दोनों व्यक्तियों को दे दिया। उनमें से एक व्यक्ति ने उसके मोबाइल नंबर 8887844423 पर ऑनलाइन 65,000/-रूपये ट्रांसफर किया। उसने अपने मोबाइल नंबर पर बैलेंस चेक किया तो उसके खाते में पैसा नहीं आया तो उसने दोबारा अपना बैलेंस चेक किया तो भी पैसा उसके खाते में नहीं आया। तब तक वे दोनों व्यक्ति अपनी बाइक पर बैठ कर स्टेशन की तरफ चले गये। वह दौड़कर पकड़ने की कोशिस किया परन्तु दोनों व्यक्ति तेजी से अपनी बाइक जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, लेकर चले गये। उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक -13.12.2025 को 19.20 बजे थाना गोपीगंज पर दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध धारा 318(4) व 316 (2)बी.एन.एस. में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियोजन कथानक यह भी है कि दिनांक 22.02.2026 को उ०नि० विरेन्द्र यादव एवं अन्य पुलिस हमराहियान मुखबिर की सूचना के आधार पर रामपुर कायस्थान तिराहा पर पहुंचकर मोटरसाइकिल संख्या UP 63 BJ 1286 से गंगापुर रामपुर घाट से गोपीगंज कस्बा की तरफ आ रहे व्यक्तियों को हिकमत अमली से घेर कर पकड़ लिया। नाम पता पूछा गया तो मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम ज्योतिष दूबे पुत्र अशोक कुमार दूबे

निवासी ग्राम नदनी थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अजीत कुमार सिंह पुत्र अमरनाथ पटेल निवासी मुल्हवा थाना पड़री जनपद मिर्जापुर बताया। जामा तलाशी के दौरान ज्योतिष दूबे के पास से 3000/- रूपया बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि उन लोगों ने सोने चांदी की ज्वेलरी को पवन सेठ पुत्र श्यामबाबू सेठ निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर को 26000/- रूपये में बेंच दिया है। यह जो 3000/- रूपया उसके पास से बरामद हुआ है वह रूपया सौरभ मिश्र व नितिन सेठ ने उसकी पल्सर मोटरसाइकिल UP 63 BJ 1286 से गोपीगंज बाजार पाल ज्वेलर्स स्टेशन रोड से फर्जी ऐप के माध्यम से लिया था, जिसे सौरभ मिश्रा व नितिन पाण्डेय ने पवन को बेंचा है। सौरभ मिश्रा ने मोटरसाइकिल पल्सर इस शर्त पर लिया था कि उसे भी हिस्सा दिया जायेगा। उक्त अभिकथन के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया गया।

3. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने आधार जमानत व उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि वह बेगुनाह है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसे उपरोक्त मुकदमें में गलत ढंग से फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच घण्टे विलंब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त न तो वादी मुकदमा की दुकान से आभूषण की खरीददारी किया, न वादी मुकदमा से आभूषण बेईमानी से प्राप्त कर किसी धनराशि का वादी मुकदमा के मोबाइल नंबर में अंतरण किया। मात्र सहआरोपी के बयान के आधार पर उसका नाम प्रकाश में लाया गया है। प्रार्थी की जमानत अपराध संख्या 9/2026 में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या -1 से स्वीकृत होने के पश्चात् रिहाई परवाना दिनांक 25.02.2026 को जिला कारागार प्रेषित किया गया। किन्तु, बसाजिश विवेचक इस मामले में प्रार्थी का नाम प्रकाश में ला दिया गया। मामले में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा प्राविधानित है। प्रार्थी इस मामले में दिनांक-26.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त, सहअभियुक्तगण द्वारा तथाकथित दिनांक, समय व स्थान पर वादी मुकदमा से साजिशन बेईमानी से सोने चांदी के आभूषण प्राप्त करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाने का आग्रह किया गया।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 13.12.2025 को समय 12.00 बजे से 2.30 बजे के मध्य वादी मुकदमा दिनेश कुमार पाल के सोने चांदी की दुकान जो स्टेशन रोड केडवरिया त्रिमुहानी, गोपीगंज में स्थित है, से एक जोड़ा पायल चांदी का वजनी 100 ग्राम, एक

जोड़ी कान की झाली 1.9 ग्राम व एक मंगलसूत्र वजन 2 ग्राम साजिशिन छल करके प्राप्त कर लेने का आरोप है।

7. पत्रावली व प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियुक्त का नाम अन्य सहअभियुक्तगण के बयान के आधार पर आना दर्शित है। अन्य सहअभियुक्तगण की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त इस मामले में दिनांक 26.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। थाने की आख्यानुसार उक्त घटना के पूर्व का कोई अपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है।

8. अतः मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना जमानत का आधार उचित प्रतीत होता है। तद्वसार प्रार्थी/अभियुक्त नितिन पाण्डेय की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए उसे मु० 50,000/-रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि-

1. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को न तो डरायेगा, धमकायेगा और न उन्हें किसी तरह का प्रलोभन देकर साक्ष्य को प्रभावित करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त आरोप विरचन, धारा-351 बी.एन.एस.एस. के बयान तथा निर्णय हेतु नियत दिनांक को सम्बन्धित न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

9. चूंकि अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। अतः इस जमानत आदेश की प्रति जरिए ई-मेल अधीक्षक जिला कारागार ज्ञानपुर को अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।

दिनांक -13.03.2026

(अखिलेश दूबे)  
सत्र न्यायाधीश  
भदोही।

JO Code No. UP 5725